(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। Dalpat Kumar Vs Prahlad Singh 1992 AIR SCW 3128 एवं Colgate Palmolive (India) Ltd Vs Hindustan Unilever Ltd 1999 AIR SCW 3050 मामलो मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के प्रकरणों को निम्न बिन्दुओं – (i) प्रकरण प्रथम दृष्ट्या किसके पक्ष मे है, (ii) प्रकरण मे सुविधा का संतुलन किसके पक्ष मे है, व (iii) अपूरणीय क्षति कारित – पर जाँचना आवश्यक है"। धारा – 212 RT Act के अनुसार प्रकरण को दो बिन्दुओं – (i) वादग्रस्त आराजी / संपत्ति को किसी पक्षकार (Party) द्वारा wastage, damage or alienate किये जाने का खतरा (danger) हो, (ii) वाद के किसी पक्षकार द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को remove करने या निस्तारित करने की धमकी दी जा रही हो या आशय रखता हो ताकि न्याय के उद्देश्य को विफल किया जा सके – पर जाँचना आवश्यक है। अतः हस्तगत प्रकरण को u/s 212 RT Act r.w.s. O39 R 1&2 CPC के तहत जाँचना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है:–	
	(1) प्रकरण प्रथम दृष्ट्या (prima facie case):– Cambridge Dictionary के अनुसार prima facie का अर्थ है "at first sight" (i.e. based on what seems to be truth when first seen or heard) और Merriam-Webster के अनुसार prima facie का अर्थ है "At first view or on the first appearance".	
	आर्थी प्रार्थी का कथन है कि [illegible] खाराखेड़ी की वादग्रस्त आराजी खसरा 85 [illegible] बीघा मे से 0-05 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मदनलाल पिता मोतीलाल को एवं 0-05 बीघा भूमि भवानीशंकर पिता मोतीलाल को आवंटन होकर नामान्तरण सं० 367	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	व 368 दिनांक 04/01/1990 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। बाद मे नामा० सं० 611 दिनांक 09/12/2004 से गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज हुई थी। आवंटन के समय उक्त भूमि ख०नं० 254 की किस्म गैर- मुमकिन रास्ता/पगडंडी थी, जो धारा - 16 RT Act के अधीन प्रतिबंधित भूमि थी। तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति ने धारा-16 के प्रावधानों के विरुद्ध यह आवंटन किया गया था अतः यह आवंटन प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य होने से स्वतः ही खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पिडावा - कोटडी MDR सडक के लगवा एक पट्टी के आकार मे होने और इसके लगवा फिर प्रार्थीगण की भूमि होने से इस पर हमेशा से प्रार्थीगण व पूर्व मे विक्रेता खातेदार का ही कब्जा काश्त रहा है, अप्रार्थी 1 व 2 का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नही होने से आवंटन एवं खातेदारी देना - दोनो ही नियम विरुद्ध किये गये है। आगे तर्क किया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति को भूमि की किस्म बदलने का कोई अधिकार नही है अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे है। आभि० अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि वर्तमान मे अप्रार्थी 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के recorded Khatedar है और recorded Khatedar के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि पर खातेदारान ने ग्रामवासियो के सहयोग से एक [illegible] पर [illegible] भी कर रखा है, शेष भाग [illegible] किया कि भूमि राज्य सरकार की थी [illegible] ही अप्रार्थी [illegible] सरकार ने नियमानुसार शर्तो की पालना होने पर ही [illegible] को आवंटन की और फिर को तहसीलदार महोदय ने दिनांक 09/12/2004 खातेदारी दी थी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिडावा जिला झालावाड़ *

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(5)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

यदि आवंटन गलत हुआ था तो प्रार्थीया को विक्रय करने वाले खातेदार को नियम -14(4) में जिला कलेक्टर के समक्ष अपील करनी चाहिये थी, जो कभी नहीं की गई अतः अप्रार्थी 1 व 2 के रिकार्डेड खातेदार होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2072-75 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख0न0 632/254 रकबा 0.0632 hac भवानीशंकर के खाते जबकि ख0न0 633/254 रकबा 0.0632 hac अप्रार्थी 2 मोतीलाल के खाते दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ग्राम धारारवेड़ी के नामान्तरण न0 367 व 368 दिनांक 04/01/1990 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 1989 में allot की गई थी और फिर गैर- खातेदारी दर्ज हुई। आवंटित भूमि का मूलखसरा न0 254 रकबा 17 बिस्वा था जबकि किस्म - "मार्ग तथा पगडंडिया" (जमाबंदी संवत 2044-47 के अनुसार) - "गै0 मु0 रास्ता" थी। गैर मु0 रास्ता धारा - 16 (vi) RT Act के अधीन प्रतिबंधित भूमि है जिस पर कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। सुविधा के लिये धारा -16(vi) RT act का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्नानुसार है :-

16. Land in which Khatedari Rights shall not accrue - (vi) "Land acquired or held for a public purpose or a work of public utility."

अप्रार्थीगण को भूमि Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for agricultural purposes) Rules 1970 के नियम -13 के तहत SDO द्वारा Land allotment Advisory Committee की सलाह से किया गया है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

आवंटन नियम -4 के अनुसार कुछ भूमियां उक्त नियम के अधीन allot नहीं की जा सकती है। यहां नियम-4 (i) का अवलोकन आवश्यक है :-

<u>4(i)</u> - "Lands mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act 1955 are not available for allotment under these Rules."

यह सुस्थापित विधि है कि उपखंड अधिकारी मय Land allotment Advisory Committee को भूमि की किस्म बदलने का कोई अधिकार नहीं था अर्थात किस्म "गैर मुमकिन रास्ता" को "बारानी प्रथम" करने का अधिकार नहीं है और इसलिए ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही ab-initio-void होगा। अतः अप्रार्थीगण को खातेदारी देना भी अवैध व प्रभावशून्य (प्रथम दृष्ट्या) होना जाहिर है। हालांकि यह तथ्य (fact) मूलवाद मे तनकी कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णीत होगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने Jai Narain v/s Board of Revenue 1980 RRD 315 मे प्रतिपादित किया है कि "SDO has no Jurisdiction to Convert Gair Mumkin Talai into Cultivable land and allot the same."

In the Case of Kajod v/s Board of Revenue 1989 RRD 203 the Division Bench was observed as under:- "3. learned Counsel for the petitioner Contended that the challage made by member of the public [illegible] the Con[illegible] the land in the above manner and [illegible] in favour of the petitioner to its allotment. Contention [illegible] be accep[illegible] in our opinion, the petitioner's favour Could be Sustained only if the prior Conversion of the land was in accordance with Law. Admittedly, the Conversion of the land

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 18:26:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

from "Gair mumkin" to "Barani" was contrary to the statutory provisions and therefore, the allotment thereafter, to the petitioner was clearly illegal. In such a situation, there is no occassion to exercise the extra-ordinary and discretionary power under Article 226 of the Constitution in petitioner's favour on mere technicality which ultimately on close scrutiny has no substance. This writ petition, therefore, must fail."

इसी प्रकार Lrs. of Kalu Vs State of Rajasthan & ors 2016 एवं Shivji Lal (supra) 2007 मामलों में श्री माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने यही प्रतिपादित किया है कि "The land regarding which Khatedari rights Can not be Conferred under Section 16 of the Tenancy Act, Can not be allotted."

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर भले ही अप्रार्थी क्रम 1 व 2 Recorded Khatedar (वर्तमान में) है लेकिन उनकी खातेदारी व आवंटन प्रथम दृष्टया ab-initio-void होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थिया के पक्ष में साबित है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रार्थिया [illegible] कथन है कि वादग्रस्त अप्रार्थी [illegible] एवं प्रार्थिया के खाते [illegible] के मध्य एक लम्बी पट्टी [illegible] वर्षों से प्रार्थिया व विक्रेता का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, विशेषतः ख०न० 633/254 (संपूर्ण) व 632/254 के आधे पूर्वी भाग पर। प्रार्थिया ने तारफेंसिंग कर रखी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	है लेकिन अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा कुछ ग्रामवासियों के साथ मिलकर, कोई कब्जाकाश्त नहीं होने पर भी, जबरन मंदिर निर्माण किया जा रहा है और प्रार्थिया के 30-40 वर्षों पुराने कब्जे में जबरन दखल दी जा रही है जिससे ना केवल प्रार्थिया को इसके कब्जे की भूमि से वंचित होना पड़ रहा है बल्कि दुर्घटना (Road accident) की भी प्रबल संभावना उत्पन्न हो गई है। प्रार्थिया के पहुंच मार्ग को भी बाधित करने की धमकी दी जा रही है। वादग्रस्त भूमि कानूनी सरकारी भूमि (रास्ता) है, जिस कारण राज्य सरकार को भी क्षति हो रही है। अप्रार्थी 1 व 2 का आवंटन से लेकर आज तक कभी कब्जाकाश्त (ख० नं० 633/254 व 632/254 के पूर्वी भाग पर) नहीं रहा है।
	अप्रार्थी 1 व 2 का कथन है कि यहां मंदिर निर्माण चल रहा है जो जनहित में है। इस भूमि से राज्य सरकार को नुकसान हो सकता है लेकिन प्रार्थिया का तो कोई लेना देना नहीं है।
	तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट दिनांक 04/10/2024 के अनुसार ख० नं० 633/254 मौके पर पड़त पड़ा हुआ है और इसके एक भाग पर मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है जबकि ख० नं० 632/254 पर सोयाबीन बो रखी है। वादग्रस्त भूमि ख० नं० 632/254 व 633/254 पिडावा-कोटड़ी-आंवर MDR रोड के बनने और existing Road की चौड़ाई दुगुनी से अधिक किये जाने से कुछ भाग Road में भी आ चुकी है। शेष बची लम्बी व संकरी पट्टी पर [illegible] कृषि कार्य करना संभव प्रतीत नहीं [illegible] है और यह प्रार्थिया की आराजी [illegible] 255, 256 व [illegible] (Adjoining land) के लिए पहुंच [illegible] बड़ी मेड़ के रूप में है। प्रकरण में प्रार्थिया के पक्ष में स्थगन जारी होने पर अप्रार्थी 1 व 2 की तुलना में प्रार्थिया को सुविधा अधिक होगी। अतः प्रकरण में सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...रीख ...क्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

(6)

का संतुलन प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 3 के पक्ष में साबित होता है।

(स) अपूरणीय क्षति होना :- प्रथम दृष्टया प्रारम्भ से ab-initio void allotment से खातेदार बने अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा, जिनका सम्पूर्ण ख० नं० 632/254 व पूर्व दिशा के ख० नं० 632/254 के कुछ भाग पर कब्जा काश्त नहीं होना जाहिर होने से, जबरन रोड के लगता मंदिर निर्माण करने व प्रार्थिया के पहुंच मार्ग को बंद करने की धमकी देने से प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 3 सरकार दोनों को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

इस संदर्भ मे, माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा Wander Ltd and Anr. V/s Antox India pvt Ltd AIR online 1990 SC 156 मामले एवं Dalpat Kumar V/s Prahlad singh 1992 AIR SCW 3128 मामले मे सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अधीन न्यायलय के विवेक के बारे मे प्रतिपादित दृष्टिकोण का अवलोकन भी किया गया।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रा० पत्र u/s 212 RT आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता ~~[illegible]~~ Year है। अप्रार्थी 1 व 2 को तारीख़ फैसला मुल्तवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे [illegible] के वादग्रस्त ख० नं० 632/254 [illegible] वाले हिस्से को छोडकर [illegible] 632/254 के पूर्व दिशा के ख० नं० 257 [illegible] सामने के भाग पर जबरन कोई निर्माण नहीं करे और राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति को बनाये रखे। प्रार्थिया के पहुंच मार्ग को बाधित नहीं करे। पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *	फैसलशुमार होकर नामवर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। 15/7/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner